दिनांक 10.03.2026 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दैनिक साफ-सफाई से संबंधित कार्यों के विशेष प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्राथमिकता निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थितिः-

1. श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, - अध्यक्ष
   अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव,
   भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
2. श्री ब्रजेश कुमार, - सदस्य
   मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना।
3. श्री विकास कुमार पाण्डेय, - सदस्य
   आन्तरिक वितीय सलाहकार,
   भवन निर्माण विभाग, पटना।

कार्यवाहीः-

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दैनिक साफ-सफाई से संबंधित कार्यों के विशेष प्राथमिकता निर्धारण हेतु दिनांक 10.03.2026 को अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के अध्यक्षता में प्राथमिकता निर्धारण समिति की बैठक आहूत की गयी। अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक 3694 अनु0 दिनांक 20.06.2025 द्वारा कुल ₹3,27,84,800.00 का विशेष प्राथमिकता सूची प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है। भवन निर्माण विभाग, बिहार का पत्रांक 1478(भ0)अनु0 दिनांक 13.02.2025 द्वारा केन्द्रीय भवन प्रमंडल का पुर्नगठन करते हुए केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1 एवं केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-2 कार्यालयों का गठन किया गया है। इस प्रकार समर्पित विशेष प्राथमिकता सूची अंतर्गत केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1 संबंधित कार्य क्रमांक-1 से 23 की कुल राशि ₹2,60,79,000.00 मात्र तथा केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-2 से संबंधित कार्य क्रमांक-1 से 7 की कुल राशि ₹67,05,800.00 मात्र होती है।

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में BWMS PORTAL पर कुल ₹25,70,06,825.00 मात्र के प्राथमिकता का अनुमोदन दिनांक 22.09.2025 को प्राथमिकता निर्धारण समिति द्वारा किया गया है।

मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 439(प0) दिनांक 09.02.2026 द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में दिनांक 10.03.2026 को संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा समर्पित विशेष प्राथमिकता सूची की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विशेष प्राथमिकता सूची के क्रमांक-1 से 22 में आवश्यक संशोधनोपरांत राशि ₹1,80,25,900.00 मात्र होती है, जो दीर्घकालीन हाउसकीपिंग योजनाओं में समाहित प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह दर ₹3.31 से कम है। प्रस्तावित विशेष प्राथमिकता सूची में समाहित भवन दीर्घकालीन हाउसकीपिंग कार्य योजनाओं के अंतर्गत नहीं है।

सम्यूक विचारोपरान्त प्राथमिकता निर्धारण समिति द्वारा अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक 3694 अनु0 दिनांक 20.06.2025 एवं 6129 अनु0 दिनांक 29.10.2025 द्वारा समर्पित विशेष प्राथमिकता सूची में क्रमांक-1 से 22 तक के कार्य मदों के लिए संशोधनोपरांत कुल राशि ₹1,80,25,900.00 मात्र का विशेष प्राथमिकता अनुमोदन इस शर्त्त के साथ किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना वित्तीय वर्ष 2025-26 के निमित उपलब्ध कराये गये आवंटन की सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करवायेंगे एवं किसी प्रकार के दायित्व का सृजन नहीं करेंगे।

122

विशेष प्राथमिकता अनुमोदन का अर्थ कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना कतई यह न समझें कि प्राथमिकता सूची में कार्य के सामने अंकित राशि उस कार्य के लिए निर्धारित कर दिया गया है। प्रत्येक कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर एवं विधिवत निविदा कर कार्य का निष्पादन करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना को यह भी निदेशित किया गया कि:-

(1) विशेष प्राथमिकता सूची में वैसे भवनों के सामने अंकित राशि मान्य नहीं होगा, जो कि कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं है। कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतेंगे एवं अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अविलम्ब निराकरण हेतु अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना को सूचित करेंगे।

(3) कार्य की गुणवत्ता की जाँचकर एवं संतुष्ट होकर ही भुगतान करेंगे।

(4) सभी कार्यों को नियमानुसार निविदा के माध्यम से ही सम्पादित करायेंगे।

(5) कार्यपालक अभियंता का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य की निधि से सिर्फ मरम्मति का ही कार्य कराया जाय। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाय।

(6) भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 5534(भ0) दिनांक 21.06.2019, पत्रांक 4947(भ0) दिनांक 30.05.2019, पत्रांक 2512(भ0)अनु0 दिनांक 05.04.2022 एवं समय-समय पर अन्य अद्यतन विभागीय पत्र द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से किया जाना कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(7) विशेष प्राथमिकता पर प्राथमिकता निर्धारण समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर विभागीय सचिव से अवलोकन करवाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

13.3.26	10/3/2026	13.3.26
(विकास कुमार पाण्डेय) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना।	(ब्रजेश कुमार) मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	(सुरेश प्रसाद प्रभाकर) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-06/2023 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना को सूचनार्थ एवं दिनांक 10.03.2026 को सम्पन्न प्राथमिकता निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही के आलोक में ₹1,80,25,900.00 की विशेष प्राथमिकता सूची (क्रमांक-1 से 22) का अनुमोदन किया जाता है।

अनु0-यथोक्त।

ह0/-
(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-06/2023 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
मुख्य अभियंता(पटना)
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-06/2023 - 775 (P) पटना, दिनांक- 13/03/26

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/3/2026
मुख्य अभियंता(पटना)
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।